न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, IAS
पत्रावली संख्या : 179/11 (प्रा0पत्र)
GCMS No. : 2011/00331

अनवान्

1. श्रीमती मुन्नी उर्फ मन्जु पिता मोहनलाल पत्नी परसराम बडगुर्जर निवासी मावली तह. मावली।

.............प्रार्थीयां

बनाम

1. श्रीमती कल्लु बाई उर्फ कलावती पिता मोहनलाल पत्नी बटुसिंह बडगुर्जर निवासी गोपालगढ, जगीना गेट भरतपुर जिला भरतपुर।
2. श्री रतनदास पिता शंकर दास वैरागी निवासी केसुली तह. नाथद्वारा।
3. श्रीमती जमनादेवी पत्नी श्याम सुन्दर गुर्जर निवासी मावली तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का मावली तह. मावली।
6. श्री लोगर लाल पिता कुका डांगी निवासी मनवाखेडा तह. गिर्वा।

..................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीयां।
2. श्री कल्याणसिंह राव, अधिवक्ता विपक्षी सं. 6।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 10.03.2021

1. प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 2173, 2469, 2470, 2471, 2171, 2172, 2174 किता 7 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में मुझ प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 2 व 3 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 1 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

देवीलाल
↓
मोहनलाल (फौत)
↓
मुन्नी उर्फ मन्जु पुत्री | कल्लु उर्फ कलावती पुत्री | सायरीबाई पत्नी (फौत)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.17 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात मुझ प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 1 की पैतृक सम्पति हैं। उक्त कृषि भूमि हमें विरासत से प्राप्त हुई है उक्त कृषि भूमि मुझ प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 1 के दादाजी श्री देवीलाल जी से प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित आराजीयात मुझ प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 1 के दादाजी श्री देवीलाल जी के नाम पर दर्ज थी तथा उनके जीवन काल में ही मुझ प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 1 के पिता श्री मोहनलाल जी का देहावसान हो गया तथा हमारे दादाजी श्री देवीलाल जी की मृत्यु उपरान्त श्री देवीलाल जी के मैं प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 1 एवं हमारी माताजी श्रीमती सायरीबाई बेवा श्री मोहनलाल जी ही उनके विधिक वारिस होने के नाते उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात हमारे नाम पर दर्ज की गई तथा मुझ प्रार्थीयां एवं विपक्षीं सं. 1 की माताजी की मृत्यु उपरान्त उनके बजाय मुझ प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज की गई तथा विपक्षी सं. 1 ने अपना हिस्सा अलग–अलग विपक्षी सं. 2 एवं 3 को विक्रय कर दिया है जो कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं एवं विपक्षी सं. 2 ने अपने नाम दर्ज भूमि विपक्षी सं. 6 को विक्रय कर दी जिसका उसे कोई अधिकार नहीं हैं।
4. यह कि उक्त वर्णित आराजी विपक्षी सं. 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर मुझ प्रार्थीयां के नाम राजस्व रेकार्ड में कम हिस्सा दर्ज करवाया एवं विपक्षी सं. 1 ने अपने नाम हिस्से से अधिक कृषि भूमि दर्ज करवा ली एवं विपक्षी सं. 2 व 3 को बेच दी एवं विपक्षी सं. 2 ने अपने नाम दर्ज भूमि विपक्षी सं. 6 को बेच दी जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है जबकि मैं प्रार्थीयां देवीलाल जी की विधिक वारिस होने से प्रार्थना पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में अपना नाम 1/2 हिस्से में दर्ज कराने की अधिकारी हूं एवं मुझ प्रार्थीयां का उक्त कृषि आराजीयात पर 20 से अधिक वर्षों से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है इस आधार पर भी मैं प्रार्थीयां खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारी हो गई हुं। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।
5. यह कि मुझ प्रार्थीयां का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थीयां को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो गया है एवं मैं प्रार्थीयां अपने हिस्से पर 20 से अधिक वर्षों से काबिज हो कृषि आराजीयात का उपयोग उपभोग कर रही हुं तथा अपने मॉ के हिस्से की कृषि आराजीयात का भी उनके जीवन काल से ही मैं प्रार्थीयां ही देखरेख व उपयोग उपभोग कर रही हुं लेकिन विपक्षी सं. 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर उक्त पैतृक कृषि भूमि में अपने हिस्से से अधिक हिस्से को अपने नाम पर दर्ज करा दिया है जबकि मैं प्रार्थीया स्व. देवीलाल की विधिक वारिस हूं लेकिन उक्त पैतृक कृषि भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज होने से वह मुझ प्रार्थीयां को अपने हिस्से से वंचित रखना चाहती है। 2171 का पुरी आराजीयात पर मुझ प्रार्थीयां का

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.17 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

20 वर्षों से निरन्तर कब्जा है एवं बिना किसी बाधा के लगातार उपयोग उपभोग कर रही हुं। एडवर्स पजेशन के आधार पर मुझ प्रार्थीयां को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है। इसलिए मैं प्रार्थीयां विपक्षी सं. 1 से 3 एवं 6 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हॅू कि मुझ प्रार्थीयां के अपने हिस्से की 1/2 कृषि आराजी अन्य को विक्रय नहीं करे व हिस्से अनुसार 1/2 हिस्सा बंटवाडा कर मेरे नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा मुझ प्रार्थीयां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थीयां को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीयां के पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थीयां को उक्त बात की जानकारी हाल ही अपने खाते की नकल निकलवाने से हुई की मेरी बहिन विपक्षी सं. 1 ने अपने नाम पर हिस्से से अधिक कृषि आराजी का अंकन करवा लिया है। अतः प्रार्थना का कारण मुझ जानकारी होने से दिनांक 04.07.2011 को उत्पन्न हुआ हैं।

7. अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीयां के पक्ष में एवं विपक्षीगणों के विरूद्व निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 3 व 6 ताफैसला मूल वाद प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात का बेचान नहीं करें तथा मुझ प्रार्थीयां के हिस्से की कृषि आराजीयात के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और न ही करवावे तथा न ही उक्त कृषि आराजीयात को रहन बैह बक्षीस आदि ही करे तथा विपक्षी सं. 4 व 5 को पाबंद करे कि राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 4 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 6 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजीयात मौजा मावली पटवार हल्का मावली में स्थित हो प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 2 व 3 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकन होना स्वीकार हैं। विपक्षी सं. 2 ने आराजी नम्बर 2173 रकबा 8 बिस्वा, 2470 रकबा 4 बिस्वा, 2471 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण एवं आराजी नम्बर 2171 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का 1/2 हिस्सा मुझ विपक्षी के पक्ष में दिनांक 11.07.2011 को पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कर उक्त भूमि का विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया है तभी से मैं विपक्षी इस जमीन पर काबिज हो काश्त कर रहा हूं। उक्त कृषि भूमि पैतृक अवश्य है किन्तु उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली में एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.17 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा अन्तर्गत धारा 88–90ए–188 रा.का.अ. के तहत् श्रीमती नाथी ने प्रार्थीयां मुन्नी, उसकी बहिन कल्लु व इनकी माता सायरीबाई के खिलाफ पेश किया था जिसके मुकदमा नम्बर 297/89 प्रार्थना है, जिसमें पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हुआ और आपसी राजीनामा अनुसार न्यायालय के डिक्री जारी कर बंटवाडा करने के आदेश दिये और उसी अनुसार राजस्व अधिकारियों ने उक्त भूमि का विधि अनुसार बंटवाडा कर अलग–अलग खाते में भूमि दर्ज कर दी जो इस प्रकार है – सायरबाई के हिस्से में आराजी नम्बर 2171 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, वादीयां मुन्नी उर्फ मन्जु के हिस्से में आराजी नम्बर 2172 रकबा 19 बिस्वा, 2170 रकबा 10 बिस्वा, 2174 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा आयी और कल्लू उर्फ कलावती के हिस्से में आराजी नम्बर 2470 रकबा 4 बिस्वा, 2469 रकबा 16 बिस्वा, 2173 रकबा 8 बिस्वा, 2471 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि आयी। विपक्षी सं. 1 के नाम पर उसके हिस्सेनुसार भूमि स्वतन्त्र खातें में अंकित होने से उसे अपने हिस्से की जमीन को बेचने का पूरा अधिकार था और उसी अधिकार के तहत् विपक्षी सं. 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि को विपक्षी सं. 2 को विक्रय कर कब्जा सौंपा दिया और विपक्षी सं. 2 ने मुझ विपक्षी को बेचकर भूमि का आधिपत्य सिपूर्द कर दिया तब से मैं खरीददार अपनी जमीन पर काबिज हो काश्त कर रहा हूं।

9. यह कि विपक्षी सं. 1 ने राजस्व अधिकारियों से किसी तरह की मिलीभगत नहीं की है और न ही प्रार्थीया के हिस्से में जमीन कम अंकित हुई है और न ही विपक्षी सं. 1 के हिस्से में ज्यादा जमीन आयी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के समक्ष जो राजीनामा पक्षकारान के मध्य हुआ था उसी अनुसार न्यायालय ने दिनांक 05.12.1990 को डिक्री जारी कर बंटवाडा के आदेश दिये है जिसकी प्रार्थीयां को भलीभांति जानकारी हैं। यदि प्रार्थीयां के हिस्से में कम जमीन आ रही थी लेकिन प्रार्थीयां स्वयं उस समय बंटवाडे में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती थी लेकिन प्रार्थीयां ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीयां के हिस्से में बंटवाडे अनुसार पर्याप्त जमीन आयी है। विपक्षी सं. 1 के हिस्से की जमीन पर कभी प्रार्थीयां का कोई कब्जा अधिकार नहीं रहा हैं। प्रार्थीयां ने सभी कथन मिथ्या अंकित किये हैं।

10. यह कि प्रार्थीयां का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं हैं। प्रार्थीया का कभी भी सम्पूर्ण जमीन पर कोई कब्जा नहीं रहा हैं। विपक्षी सं. 1 को अपने हिस्से की कृषि भूमि को अपनी ईच्छानुसार उपयोग उपभोग व हस्तान्तरण करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त था और इसी के तहत विपक्षी सं. 1 ने अपने हक हिस्से को विक्रय किया है विपक्षी सं. 1 ने अपने हिस्से की जमीन जो विपक्षी सं. 2 को बेची उस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.17 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

पहले विपक्षी सं. 1 का कब्जा था और उसके बाद विपक्षी सं. 2 का चला आ रहा था और विपक्षी सं. 2 ने अपनी खरीदसुदा जमीन को मुझ विपक्षी को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया है तब से कब्जा मुझ विपक्षी का आज दिवस तक निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थीयां का वादगत भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीयां के पक्ष में नहीं हैं और न ही प्रार्थीयां मेरे खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हैं।

11. यह कि प्रार्थीयां को बंटवाडे की जानकारी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की दिनांक से है क्योंकि स्वयं प्रार्थीयां उस मुकदमें में पक्षकार थी और उसने राजीनामा में अपने हस्ताक्षर किये हैं। इसलिए प्रार्थीयां को मेरे विरूद्व कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं होता हैं।

12. **विशेष कथन** प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीयां ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा दिनांक 05.12.1990 को पारित डिक्री व निर्णय को जानबुझकर माननीय न्यायालय से छूपाया है जबकि प्रार्थीयां स्वयं उस प्रकरण में पक्षकार थी और स्वयं प्रार्थीयां ने जिस प्रार्थना पत्र के आधार पर बंटवाडा हुआ है उस पर अपने हस्ताक्षर किये है लेकिन प्रार्थीयां द्वारा माननीय न्यायालय को अंधेरे में रखकर मनमाफिक अनुतोष प्राप्त करने की मंशा से उक्त तथ्यों का अंकन नहीं किया हैं। इस आधार पर भी प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

13. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयां द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 6 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

14. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 2, 3, 6 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थीया द्वारा [illegible] का वाद प्रस्तुत किया हैं उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते है। चूंकि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.17 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

2, 3, 6 खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी सं. 2, 3, 6 खातेदार काश्तकार होने से खातेदार को पाबंद किया जाना उचित नहीं हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

2. *सुविधा का संतुलन–* चूंकि वाद वर्णित भूमि के प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 2, 3, 6 खातेदार काश्तकार है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीयां के विरूद्व निर्णित हुआ हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के विरूद्व निर्णित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीयां के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि के प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 2, 3, 6 खातेदार काश्तकार है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयां के विरूद्व निर्णित हुआ हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीयां के विरूद्व साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीयां के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

15. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 1 की पैतृक सम्पति होकर देवीलाल जी के समय से आना बताया हैं। उक्त भूमि प्रार्थीयां के कथनानुसार उनके पिता मोहनलाल व माता सायरबाई की मृत्यु के पश्चात् विरासत से दर्ज हुई हैं। उक्त भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 के नाम 1/2, 1/2 दर्ज होनी चाहिए थी जबकि विपक्षी सं. 1 के नाम भूमि अधिक दर्ज हो गई हैं। इसलिए हिस्से की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हैं। विपक्षी सं. 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि को विपक्षी सं. 2 को विक्रय किया व विपक्षी सं. 2 से विपक्षी सं. 6 ने भूमि क्रय की हैं।

16. प्रकरण में विपक्षी सं. 6 के कथनानुसार उक्त भूमि बाबत् उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर में आपसी राजीनामा अनुसार दिनांक 05.12.1990 को डिक्री जारी होकर बंटवाडे के आदेश हुए थे उसी आदेशानुसार भूमि को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया हैं। प्रार्थीयां द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए प्रकरण पेश किया हैं। विपक्षी सं. 6 द्वारा भूमि को क्रय कर मौके पर काबिज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 3, 6 खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विपक्षी सं. 2 को भूमि विक्रय की हैं एवं विपक्षी सं. 2 से विपक्षी सं. 6 ने भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया हैं। वादग्रस्त भूमि में विपक्षी सं. 6 सद्भावी क्रेता हैं। विपक्षी सं. 6 ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर भूमि को क्रय किया हैं। यदि खातेदार काश्तकार को

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.17 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीयां के विरूद्व साबित हुए हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.17 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested